कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 10.07.2026

□थाना अलीनगर व आरपीएफ टीम का संयुक्त कार्यवाही में 23.45 लीटर अवैध शराब बरामद कर 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर के नेतृत्व में दिनांक 09.07.2026 को थाना अलीनगर व आरपीएफ टीम का संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना के आधार पर लोको कॉलोनी स्थित अस्पताल के पास से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पिट्ठू बैग में रखी 23.45 लीटर अवैध अंग्रेजी एवं देशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1.सुमित कुमार पुत्र राजेश कुमार सोनी निवासी वार्ड नं. 38, तारबंगला, न्यू हाईडिल के पीछे, थाना डेहरी नगर जनपद रोहतास (बिहार), उम्र 19 वर्ष 2.दीपक कुमार पुत्र मुकेश कुमार सिंह निवासी वार्ड नं. 33, बाबूगंज थाना डेहरी नगर जनपद रोहतास (बिहार) उम्र 21 वर्ष 3.शमशाद अंसारी पुत्र नूर मोहम्मद निवासी वार्ड नं. 35, नील कोठी थाना डेहरी नगर जनपद रोहतास (बिहार) उम्र 23 वर्ष के रुप में हुई है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0सं0 435/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.सुमित कुमार पुत्र राजेश कुमार सोनी, निवासी वार्ड नं. 38, तारबंगला, न्यू हाईडिल के पीछे, थाना डेहरी नगर, जनपद रोहतास (बिहार), उम्र 19 वर्ष।

2.दीपक कुमार पुत्र मुकेश कुमार सिंह, निवासी वार्ड नं. 33, बाबूगंज, थाना डेहरी नगर, जनपद रोहतास (बिहार), उम्र 21 वर्ष।

3.शमशाद अंसारी पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी वार्ड नं. 35, नील कोठी, थाना डेहरी नगर, जनपद रोहतास (बिहार), उम्र 23 वर्ष।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे विभिन्न शराब ठेकों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में शराब खरीदकर एकत्रित करते थे तथा बिहार में शराबबंदी का लाभ उठाते हुए ट्रेनों के माध्यम से बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे होने वाले मुनाफे से वे अपने शौक पूरे करते थे।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 435/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

बरामदगी का विवरण-

1.40 After Dark टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब (180 एमएल)

2.20 8 PM टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब (180 एमएल)

3.03 अदद Royal Stag अंग्रेजी शराब (750 एमएल)
4.52 Blue Lime टेट्रा पैक देशी शराब (200 एमएल)
कुल बरामदगी 23.45 लीटर अवैध शराब अनुमानित कीमत: 25,000 रुपए